प्रेस नोट
दिनांक 07.03.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षणाधीन से नई नियुक्ति क्षेत्राधिकारी के पद पर श्री उदित नारायण पालीवाल को रैंक प्रतीक/स्टार लगाकर पदोन्नति की बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए दी गयी शुभकामनाएं–

आज दिनांक 07.03.025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायवाल द्वारा पुलिस उपाधीक्षक श्री उदित नारायण पालीवाल को उनके प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत स्टार लगाकर सम्मानित किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गयी। महोदय द्वारा बताया गया कि अपने प्रशिक्षण अवधि के दौरान उदित नारायण पालीवाल द्वारा अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता का शानदार परिचय दिया है। अब इनकी पुलिस अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी और अधिक बढ गयी है। हमें विश्वास है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। डीएसपी उदित नारायण पालीवाल अपनी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और प्रभावी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने सेवा काल में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनकी आदर्श कार्य संस्कृति और जनता के प्रति जवाबदेही ने उन्हें एक कुशल अधिकारी के रूप में स्थापित किया है।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.03.2025

पुलिस अधीक्षक द्वारा रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के लिए रिजर्व पुलिस लाइन का किया निरीक्षण, रिक्रूट आरक्षियों के व्यवस्थाओं हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 0.03.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के लिए रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा रिक्रूटो के आवासीय व्यवस्था, क्लासरूम, स्नानागार, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा आरटीसी बैरक में गर्मी को देखते हुए पर्याप्त संख्या में कूलर, पंखे व बल्व लगवाने, तख्त और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु बताया गया साथ ही पर्याप्त संख्या में शौचालय व स्नानागार की व्यवस्था उच्च सफाई के साथ करने हेतु निर्देशित किया गया। रिक्रूट आरक्षियों के आगमन के पूर्व आरटीसी बैरक के आसपास घास आदि की सफाई कराने और क्षमता से अधिक रिक्रूट आरक्षियों को बैरक में नही रखे जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया साथ ही प्रस्तावित आरक्षियों के प्रशिक्षण के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं की कमियों की पूर्ति कर सही ढंग से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में जेटीसी प्रशिक्षण हेतु 771 रिक्रूट आरक्षी शामिल होगे। जिसमें से 618 पुरूष आरक्षी व 153 महिला आरक्षी शामिल होगी। जिसमें से रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में आरटीसी प्रशिक्षण हेतु 500 पुरूष रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण **मौजूद रहे।**

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 07.03.2025</u>

<u>ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना धानेपुर की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीडित की फ्रॉड गयी 2,55,189/– रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–</u>

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में थाना धानेपुर की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **<u>2,55,189/–</u>** पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

टावेदक संदीप कुमार निवासी चौक बाजार थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के मोबाइल पर अज्ञात फ्रॉड व्यक्ति द्वाररा फोन करके पीड़ित के मोबाइल में एनी डेस्क ऐप इन्स्टाल कर इन्टनेट बैकिंग के माध्यम से खाते से रू0 निकाल लिया गया था। जिसकी पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिस पर थाना धानेपुर की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 2,55,189/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय व थाना धानेपुर की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

<u>साइबर सुरक्षा टिप्स–</u>

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेसनोट
दिनांक 07.03.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल 02 अदद बांस की लाठी बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2025 धारा 103(1) /115(2)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 01 हत्याभियुक्त - आदित्य प्रसाद तिवारी पुत्र लक्ष्मी प्रसाद तिवारी नि0 पिपरी सागर मौजा महदेवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को खरहटिया पंचायत भवन के पास गोण्डा उतरौला मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही से आलाकत्ल 02 अदद बांस की लाठी बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.03.2025 को थाना को0 देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपरी सागर मौजा महदेवा में जमीनी विवाद के चलते विपक्षीगणों द्वारा वादी विजय कुमार पुत्र स्व0 तुंगनाथ तिवारी के लड़के मनोज को लाठी-डण्डे व लोहे की रॉड से मारा-पीटा था। परिजनों द्वारा घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से डाक्टरों द्वारा उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। जहां पर उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। मृतक के पिता विजय कुमार की तहरीर पर थाना को0 देहात में नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें दिनांक 05.03.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 07.03.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा फरार चल रहे आरोपी अभियुक्त- आदित्य प्रसाद तिवारी पुत्र लक्ष्मी प्रसाद तिवारी नि0 पिपरी सागर मौजा महदेवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को खरहटिया पंचायत भवन के पास गोण्डा उतरौला मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आदित्य प्रसाद तिवारी पुत्र लक्ष्मी प्रसाद तिवारी नि0 पिपरी सागर मौजा महदेवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 82/2025 धारा 103(1) /115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह
02. उ0नि0 गोपाल सिंह
03. कां0 संजय कुमार
04. कां0 रोहित कुमार
05. कां0 जागेश्वर गौड़

मीडिया सेल, गोण्डा